

"पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XXXIX (ईआरईएस-XXXIX)"

के लिए

अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में बोलीदाता के चयन

हेतु

प्रस्ताव दस्तावेज़ के लिए मानक एकल चरण अनुरोध

जारीकर्ता

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

पंजीकृत कार्यालय:

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,

7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

ईमेल: pshariharan@recpdcl.in और tbcb@recpdcl.in

16.03.2024

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा "पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XXXIX (ईआरईएस - XXXIX)" के तहत अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में बोलीदाता के चयन के लिए प्रस्ताव दस्तावेज का अनुरोध जारी किया गया है।

यह आरएफपी दस्तावेज जारी किया जाता है-

मैसर्स _____

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

ईमेल:
स्थान:
तिथि:
हस्ताक्षर:

प्रस्ताव अधिसूचना के लिए अनुरोध

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
(आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 943 [एफ. सं.15/3/2018- ट्रांस-पार्ट (1)] दिनांक 01.03.2024 के द्वारा पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के उद्देश्य से आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड को बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से "पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XXXIX (ईआरईएस- XXXIX)" के तहत अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया है।
- आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (बाद में बीपीसी के रूप में संदर्भित) इसके अनुसार "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश" के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में बोलीदाता के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी करने के लिए सभी संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करता है और भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-63 के तहत और समय-समय पर संशोधित और "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए गए हैं। टीएसपी की जिम्मेदारी "पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XXXIX (ईआरईएस - XXXIX)" (इसके बाद 'परियोजना' के रूप में संदर्भित) के तहत निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर निम्नलिखित अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली को स्थापित करना होगा। पारेषण सेवा प्रदान करें:

| क्र.सं. | पारेषण योजना का दायरा | प्रभावी तिथि से महीनों में निर्धारित सीओडी |
|---------|--|--|
| 1. | <p>ओडिशा के गोपालपुर में नए 765/400 केवी, 2x1500 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन की स्थापना</p> <ul style="list-style-type: none"> 765/400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी: 2 (एक अतिरिक्त सहित 7x500 एमवीए एकल चरण यूनिट्स) 765 केवी आईसीटी बे: 2 400 केवी आईसीटी बे: 2 765 केवी, 330 एमवीएआर बस रिएक्टर: 2 (7x110 एमवीएआर एकल चरण यूनिट्स जिसमें बस और लाइन रिएक्टर दोनों के लिए एक अतिरिक्त यूनिट शामिल है) 765 केवी बस रिएक्टर बे: 2 420 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर: 2 400 केवी बस रिएक्टर बे: 2 765 केवी लाइन बे: 2 | 30.06.2026 |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>[दोनों सर्किट में गोपालपुर के छोर पर 765 केवी, 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ अंगुल (पावरग्रिड) - गोपालपुर 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 केवी लाइन बे: 2 <p>[गोपालपुर-गोपालपुर (ओपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन को समाप्त करने के लिए]</p> <ul style="list-style-type: none"> • 765 केवी, 330 एमवीएआर (3x110 एमवीएआर एकल चरण यूनिट्स) संबंधित बे और 500 ओएचएम एनजीआर (एनजीआर बाईपास व्यवस्था के साथ) के साथ स्विचेबल लाइन रिएक्टर [अनगुल (पावरग्रिड) के दोनों सर्किट में गोपालपुर के छोर पर - गोपालपुर 765 केवी डी/सी लाइन]: 2 <p>भविष्य के विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 765/400 केवी, 4x1500 एमवीए आईसीटी (12x500एमवीए एकल चरण यूनिट्स) दोनों वोल्टेज स्तरों पर संबंधित आईसीटी बे के साथ • दोनों वोल्टेज स्तरों पर संबंधित आईसीटी बे के साथ 400/220 केवी, 4x500 एमवीए आईसीटी • 765 केवी, 2x330 एमवीएआर (6x110 एमवीएआर एकल चरण यूनिट्स) बस रिएक्टर संबंधित बे के साथ • 420 केवी, 2x125 एमवीएआर बस रिएक्टर संबंधित बे के साथ • भविष्य की लाइनों के लिए 8 765 केवी लाइन बे (स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए जगह के साथ)। • भविष्य की लाइनों के लिए 10 400 केवी लाइन बे (स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए जगह के साथ)। • भविष्य की लाइनों के लिए 12 220 केवी लाइन बे • 765 केवी बस सेक्शनलाइज़र बे: 1 सेट • 400 केवी बस सेक्शनलाइज़र बे: 1 सेट • 220 केवी बस सेक्शनलाइज़र बे: 1 सेट • 220 केवी बस कूपलर बे: 2 | |
| 2. | अंगुल-गोपालपुर 765 केवी डी/सी लाइन | |
| 3. | <p>जीआईएस में बस विस्तार सहित अंगुल (पावरग्रिड) एस/एस पर 765 केवी स्तर पर विस्तार</p> <ul style="list-style-type: none"> • 765 केवी एआईएस लाइन बे (भविष्य में स्विच करने योग्य लाइन रिएक्टर के लिए जगह के साथ): 2 [अंगुल (पावरग्रिड)-गोपालपुर 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए] | |

| | |
|----|--|
| | <i>लगभग 3000 मीटर के जीआईएस में बस विस्तार सहित</i> |
| 4. | गोपालपुर - गोपालपुर (ओपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन@ |
| 5. | <p>गोपालपुर (ओपीटीसीएल) जीआईएस एस/एस में 400 केवी स्तर पर विस्तार</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400 केवी जीआईएस लाइन बे: 2 [गोपालपुर - गोपालपुर (ओपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन की समाप्ति के लिए] + # 2 व्यास को पूरा करने के लिए |

टिप्पणी:

- i. @गोपालपुर (ओपीटीसीएल) को कार्यान्वयन के लिए लिया जा रहा है और मार्च 2024 तक अवार्ड किए जाने की उम्मीद है। ओपीटीसीएल के इनपुट के अनुसार, गोपालपुर में 765/400 केवी (आईएसटीएस) और 400/220 केवी (इंट्रा-स्टेट) सबस्टेशनों के बीच 20 किमी लाइन की लंबाई पर विचार किया गया है। गोपालपुर में 400/220kV (इंट्रा-स्टेट) सबस्टेशन।
 - ii. #गोपालपुर (ओपीटीसीएल) जीआईएस एस/एस में 400 केवी स्तर की बस योजना डेढ़ ब्रेकर योजना, 2 पूर्ण व्यास अर्थात 2 की आवश्यकता के लिए योजना में 4 जीआईएस बे को लागू करने की आवश्यकता है। गोपालपुर (ओपीटीसीएल)-गोपालपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन को दो अलग-अलग व्यासों में समाप्त करने के लिए जीआईएस बे। इन व्यासों के अन्य 2 जीआईएस बे के उपयोग की पहचान भविष्य में की जाएगी।
 - iii. गोपालपुर (आईएसटीएस) - गोपालपुर (ओपीटीसीएल) 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन को समाप्त करने के लिए 400 केवी जीआईएस लाइन बे में से 2 के कार्यान्वयन के लिए ओपीटीसीएल कार्यान्वयनाधीन गोपालपुर (ओपीटीसीएल) 400/220 केवी जीआईएस एस/एस पर स्थान प्रदान करेगा। 2 पूर्ण व्यास अर्थात 4 जीआईएस बे स्थापित किए जाएंगे।
 - iv. पावरग्रिड, अंगुल (पावरग्रिड) - गोपालपुर 765 केवी डी/सी लाइन को समाप्त करने के लिए जीआईएस में बस विस्तार के साथ-साथ 765 केवी लाइन बे में से 2 (भविष्य में स्विच करने योग्य लाइन रिक्टर के लिए जगह के साथ) के कार्यान्वयन के लिए अंगुल (पावरग्रिड) 765/400 केवी एस/एस पर स्थान प्रदान करेगा।
3. टीएसपी यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के सभी उपकरणों, सुविधाओं, घटकों और प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण और परीक्षण पारेषण सेवा समझौते के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी लागू नियमों/विनियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
 4. **पारेषण लाइसेंस:** टीएसपी को आयोग से पारेषण लाइसेंस प्राप्त होगा।
 5. **बोली प्रक्रिया:** पारेषण सेवा प्रदाता का चयन परियोजना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो आरएफपी की धारा 2 के खंड 2.1 में निर्धारित निर्धारित योग्यता आवश्यकताओं और ई-रिवर्स बोली के दौरान उद्धृत अंतिम प्रस्तावों से खोजे गए सबसे कम उद्धृत पारेषण शुल्क को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा। टीएसपी का चयन आयोग से पारेषण लाइसेंस प्राप्त करने के अधीन होगा, जिसे समाप्त होने के बाद, पारेषण लाइसेंस की शर्तों में संशोधन करने के लिए निहित शक्तियों के तहत आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

पूरी बोली प्रक्रिया एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी।

अनुवाद किया जा रहा है।